other modalities. The Airports Authority of India will provide technical assistance.

(c) Airport Authority of India is developing 14 domestic airports with provisions for customs and immigration facilities for limited international operations, as and when required.

(d) Rs. 67.05 crores.

मध्य प्रदेश में जबलपुर में विमानपत्तन का निर्माण

*489. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 23 फरवरी, 1993 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 15 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जबलपुर (मध्य प्रदेश) में विमानपत्तन का निर्माण कार्य वर्ष 1993-94 में प्रारंभ किये जाने के आश्वासन के बावजूद वर्ष 1994-95 के अन्त तक आरंभ न करने के क्या कारण हैं जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने धावन-पथ के निर्माण हेतु 1 फरवरी, 1993 को 37.37 एकड़ भूमि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी थी;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग इतने लम्बे समय तक राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारण द्वारा किन कार्यों हेतु किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार जबलपुर नगर को विमान सेवा से देश की राजधानी से जोड़ने का विचार रखती है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) संसाधनों की कमी के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जबलपुर विमानपत्तन पर बी-737 विमान के प्रचालन हेतु धावन पथ के विस्तार का कार्य आरंभ नहीं कर सका। तथापि, वर्ष 1995-96 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना आवंटन की मध्यावधि पुनरीक्षा के दौरान जबलपुर धावन पथ की विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक आवंटन किया जाएगा ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

(ख) उक्त भूमि उपयोग में नहीं है।

(ग) मैसर्स अर्चना एयरवेज दिल्ली-भोपाल-जबलपुर-भोपाल-दिल्ली सैक्टर पर सप्ताह में तीन बार प्रचालन कर रहा है।

Cases Refered to Debts Recovery Tribunals

*490. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to answer to Unstarred Question 250 given in the Rahya Sabha on 14th March, 1995 and state:

(a) The total number of cases refered to the debt Recovery Tribunals;

(b) whether a large number of debtors have come forward to settle their dues with the banks on mutually agreed terms; and

(c) what is the attitude of Government in such cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTY): (a) to (c) As per the information last received from the five Debts Recovery Tribunals established so far, 1286 cases have been referred to these Tribunals.

Compromise proposals are received by the banks from time to time from the debtors and decisions on this are taken as per the guidelines of the Reserve Bank of india and in accordance with the policy evolved by the Board of Directors of each bank. It has, however, not come to the notice of the Government nor any feed back has been received from the RBI and banks so far that a large number of debtors have come forward to settle their dues with the banks on mutually agreed terms as a reslult of the setting up of Recovery Tribunals.